

# न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारी:— कृष्ण गोपाल जोजन

प्रकरण सं० 82/2019

दायर दिनांक: 12/06/2019

## उनवान

1. भगवान आयु 32 वर्ष पुत्र अशोक कुमार जाति धाकड़ निवासी सहरोद ।
2. यशवन्त कुमार आयु 27 वर्ष पुत्र अशोक कुमार जाति धाकड़ निवासी सहरोद तहसील अटरू जिला बारां राज० ।

## वादीगण

## बनाम

1. अशोक कुमार आयु पुत्र शंकरलाल जाति धाकड़ निवासी सहरोद तहसील अटरू जिला बारां राज० ।
2. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज० ।

## प्रतिवादीगण

## वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188, 53, आर.टी.एक्ट

## उपस्थिति :-

वादीगण:- विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा ।

प्रतिवादी:- विद्वान अभिभाषक श्री यशधुम्न सिंह ।

## आदेश

दिनांक: 23/01/2020

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण में निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री 19.08.2019 की पालना में तहसीलदार अटरू से विभाजन प्रस्ताव चाहा गया जिसकी पालना में तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2019/1430 दिनांक 27.12.2019 से विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिससे उभयपक्षकारान सहमत है ।

अतः प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार निम्न प्रकार अंतिम निर्णय किया जाकर विवादित आराजी ग्राम सहरोद तहसील अटरू जिला बारां में मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के अनुसार खाता सं० 12 की ख०नं० 22, 25, 232, 244/1537 कुल किता 4 की 7.92 है० का विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है:-

1. वादी भगवान पुत्र अशोक कुमार जाति धाकड़ सा० सहरोद के खाते में दर्ज रहेगी ।

ख०नं०	रकबा	किस्म	लगान
22 पूर्व	1.92	माल 1	23.04

2. वादी क्रम 2 यशवन्त पुत्र अशोक कुमार जाति धाकड़ निवासी सहरोद के खाते में दर्ज रहेगी ।

ख०नं०	रकबा	किस्म	लगान
-------	------	-------	------

22 मध्य 1.92 माल 1 23.04

3. प्रतिवादी क्रम 1 अशोक कुमार पुत्र शंकरलाल जाति धाकड़ सा0 देह के खाते में दर्ज रहेगी।

ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
22 पश्चिम	1.46	माल 1	17.52
25	1.48	माल 1	17.76
232	1.03	नहरी 2	20.60
244 / 1537	0.11	नहरी 2	2.20
<hr/>			
किता 4	4.08		

उपरोक्तानुसार वादी/प्रतिवादी का हिस्सा पृथक-पृथक किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते हैं, कि वादी/प्रतिवादी के उपरोक्त विभाजन अनुसार राजस्व रिकार्ड में पृथक-पृथक भूमि का इन्द्राज किया जावें। रहन का नोट खाते में दर्ज किया जावें। फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्ण गोपाल जोजन)  
उपखण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्दाई  
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री कृष्ण गोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 82/2019

उनवान

1. भगवान आयु 32 वर्ष पुत्र अशोक कुमार जाति धाकड़ निवासी सहरोद ।
2. यशवन्त कुमार आयु 27 वर्ष पुत्र अशोक कुमार जाति धाकड़ निवासी सहरोद तहसील अटरू जिला बारां राज0 ।

वादीगण

बनाम

1. अशोक कुमार आयु पुत्र शंकरलाल जाति धाकड़ निवासी सहरोद तहसील अटरू जिला बारां राज0 ।
2. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0 ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188, 53, आर.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रूबरू.....X.....

बहाजिर :-

वादीगण:- विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा ।

प्रतिवादी:- विद्वान अभिभाषक श्री यशधुम्न सिंह ।

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम सहरोद तहसील अटरू जिला बारां में मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के अनुसार खाता सं0 12 की ख0नं0 22, 25, 232, 244/1537 कुल किता 4 की 7.92 है0 का विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है:-

4. वादी भगवान पुत्र अशोक कुमार जाति धाकड़ सा0 सहरोद के खाते में दर्ज रहेगी ।

ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
22 पूर्व	1.92	माल 1	23.04

5. वादी कम 2 यशवन्त पुत्र अशोक कुमार जाति धाकड़ निवासी सहरोद के खाते में दर्ज रहेगी ।

ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
22 मध्य	1.92	माल 1	23.04

6. प्रतिवादी कम 1 अशोक कुमार पुत्र शंकरलाल जाति धाकड़ सा0 देह के खाते में दर्ज रहेगी ।

ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
22 पश्चिम	1.46	माल 1	17.52
25	1.48	माल 1	17.76
232	1.03	नहरी 2	20.60
244/1537	0.11	नहरी 2	2.20
किता 4	4.08		

उपरोक्तानुसार वादी/प्रतिवादी का हिस्सा पृथक-पृथक किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते हैं, कि वादी/प्रतिवादी के उपरोक्त विभाजन अनुसार राजस्व रिकार्ड में पृथक-पृथक भूमि का इन्द्राज किया जावें। रहन का नोट खाते में दर्ज किया जावें।

(कृष्ण गोपाल जोजन)  
उप खण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X.....  
..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 23.01.2020 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां (राज0)

